

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी नैनीताल / अल्मोड़ा (हल्द्वानी)
ईमेल—cfontl.ukfs@gmail.com,

पत्रांक:—सीएफओ / अ०सु०-१ / २०२२
सेवा में,

दिनांक—मई १९, २०२३

OWNER/MANAGER,
UNIVERSAL CONVENT SCHOOL,
TEHSIL ROAD DWARAHAT,
DISTT-ALMORA, UTTARAKHAND,

विषय:— अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं०—79745759 दिनांक:—२७.०४.२०२३ के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक:२८.०४.२०२३ के अनुपालन में अग्निशमन अधिकारी रानीखेत द्वारा अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।

किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।
१. परिसर में अण्डर ग्राउण्ड रिजर्व वाटर टैंक ५० ली० क्षमता एवं ओवर हैड रिजर्व वाटर टैंक ०३ हजार ली० क्षमता का प्राविधान किया गया है।
२. परिसर में १३ अदद एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर ०५ किग्रा० क्षमता, ०२ अदद सीओटू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर ४.५ किग्रा० क्षमता, ०१ अदद एफएफएफ टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर ०९ ली० क्षमता एवं ०१ अदद होजरील मय फिटिंग्स का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया जा सकता है साथ ही निर्देशित किया जाता है कि—

१. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण किये जाने की दशा में तदनुसार NBC-2016 के Part-०४ में निहित मानकों के अनुसार अतिरिक्त अग्निसुरक्षा व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।
२. संस्थान/परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कार्यक्षमता व रख—रखाव को प्रत्येक समय उच्च स्तर पर बनाय रखेगे।
३. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जायें।
४. आपके संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का सुरक्षित निष्कर्षण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
५. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस—पास तथा निकास मार्ग, भवन सैट बैक क्षेत्र में किसी समाग्री का भण्डारण नहीं किया जायेगा, भण्डारण किये जाने पर यह प्रबन्धन की लापरवाही मानी जायेगी तथा भविष्य में अग्निदुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जायेंगी।
६. प्रत्येक ०३ वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर (नियमानुसार (१० रु० प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैरिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क—फायर सर्विस हैड ००७० अन्य प्रशासनिक सेवाएं ६० अन्य सेवाये, १०९ अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण कराया जायेगा) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण—पत्र का नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण—पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण—पत्र स्वतः ही निरस्तः समझा जायेगा। साथ ही प्रत्येक छः माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं साथ ही प्रत्येक कार्यशील होने का स्व—घोषणा प्रमाण—पत्र/SELF AUDIT REPORT प्रस्तुत/अपलोड करना होगा।
७. निर्गत अग्निसुरक्षा प्रमाण—पत्र का उपयोग किसी अवैध निर्माण/कब्जे को नियमित करने के लिए मान्य नहीं होगा।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं अग्निशमन अधिकारी रानीखेत द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक—अ०सु०व्यव०/FS RKT/2022 के आधार पर अधिभोग (Occupancy)/अध्यासन किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

मुख्य मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल (हल्द्वानी)